# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 60 / 2023

तारीख दायरः– 07.06.2023
तारीख निर्णयः–22.04.2025

1. रोशनदेवी पुत्री कालुलाल कुम्हार पत्नी नारायणलाल कुम्हार निवासी बिरोठी हाल मुकाम बिछीवाडा तहसील फलासिया।
2. मोहनबाई पुत्री कालुलाल कुम्हार पत्नी नारायणलाल कुम्हार निवासी बिरोठी हाल मुकाम तेलीवाडा बेदला तहसील गिर्वा।
3. लीलाबाई पुत्री कालुलाल कुम्हार पत्नी केशुलाल कुम्हार निवासी बिरोठी हाल मुकाम सुल्तान जी का खेरवाडा तहसील झाडोल।
4. सज्जनबाई पुत्री कालुलाल जी कुम्हार पत्नी बसन्तीलाल कुम्हार निवासी बिरोठी हाल मुकाम सुल्तानजी

.....प्रार्थी

## बनाम

1. श्री हीरालाल पुत्र कालु जी कुम्हार निवासी बिरोठी तहसील झाडोल।
2. धनीबाई पत्नी नारायणलाल कुम्हार निवासी बिरोठी तहसील झाडोल।
3. श्री कमरूदीन पुत्र शदकअली बोहरा निवासी बिरोठी तहसील झाडोल।
4. श्री हातिमअली पुत्र कुरबान हुसैन बोहरा निवासी बिरोठी तहसील झाडोल।
5. श्री सब रजिस्ट्रार, उप तहसील फलासिया जिला उदयपुर।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार झाडोल।

.....अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री गोविन्द नारायण शर्मा

प्रतिवादी की ओर से– श्री प्रवीण कुमार मेहता

## निर्णय

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त में विववरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त उनवान का एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्व पेश कर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थी पूर्ण सफलता मिलेगी। मौजा बिरोठी पटवार सर्कल बिरोठी तहसील झाडोल में संवत 2077 से 2080 की जमाबन्दी के खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 1995 रकबा 0.01, 1998 रकबा 0.03, 1999 रकबा 0.07, 2004 रकबा 0.01, 2092 रकबा 0.07, 2093 रकबा 0.09, 2446 रकबा 0.18 किता 07 कुल रकबा 0.4600 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के सजरा खानदान में मूल पुरूष कालु पिता भीमा कुम्हार थे, जिनके वारिसान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में दर्ज कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 की मौरूसी सम्पति होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 के मूल पुरूष कालु पिता भीमा कुम्हार से विरासत से प्राप्त हुई है। वादोक्त भूमि मूल पुरूष कालु जी कुम्हार ने करीब 60 वर्ष पूर्व रूपये 120/– में श्री सदकअली बोहरा से खरीदी, जिसकी लिखापढी भी कागज पर की थी, जो कालु जी के पास थी और कालु जी जीवन भर उक्त भूमि पर काबिज रह काश्त करते रहे व उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 शामिल

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

शरीक रह काबिज हो काश्त करते आ रहे है और कानूनन वाद वर्णित भूमि के कालु जी खातेदार रह चुके थे, जिससे उनके सभी सन्तानों को विरासत में प्राप्त वादोक्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 के संयुक्त स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य में है। उक्त वर्णित भूमि को क्रय करने के पश्चात विक्रेता के फोत हो जाने से भूमि उनके पुत्रो के नाम दर्ज हो गई, परन्तु कब्जा मूल पुरूष कालु जी को होने से संवत 2037 के वक्त सेटलमेंट कर्मियों ने अपने खसरा पत्रक में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 के पूर्व पुरूष कालु जी कुम्हार को उप कृषक के रूप में दर्ज किया है, जिससे भी कालु जी का 12 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा काश्त होना जाहीर है व कानुनन कालु जी कुम्हार खातेदार काश्तकार थे। वादग्रस्त भूमि पर स्व. कालु जी के बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु भूमि अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के नाम पर दर्ज होने से खातेदारी का फायदा उठाकर प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने, अन्य को विक्रय करने एवं शांतिपूर्ण कृषि कार्य में दखलंदाजी पैदा करने पर आमादा हो रहे है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दौराने विचार वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादोक्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में प्रार्थीगण को हिस्से अनुसार काश्त करने से नही रोके न भूमि को खुर्द बुर्द हस्तान्तरण करें, न प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करे और न ही किसी प्रकार से निर्माण कार्य करे। ऐसा न विपक्षीगण स्वयं करे और न ही अन्य किसी से करावें। साथ ही मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण द्वारा जवाब मय प्रतिप्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि का विपक्षी संख्या 04 रेकार्डेड खातेदार है, जो कि वर्तमान में उदयपुर रह रहे है। उनके द्वारा हम विपक्षीगण से पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त कर उक्त भूमि के आराजी नम्बर 2092 व 2093 किता 02 कुल रकबा 16 एयर का हक हमारे द्वारा प्राप्त कर कब्जा प्राप्त किया, जिसका पंजीयन विपक्षी संख्या 04 द्वारा दिनांक 07.07.2022 को हमारे पक्ष में कराया तब से हम सहकाश्तकार की हैसियत से काबिज है। वर्तमान में भी उक्त खरीद शुदा सम्पति पर हमारी सरसो की फसले मौजुद है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का वर्णित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हकुक नही है न ही प्रार्थीगण संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि ही है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण को काश्त करते कभी नही देखा बल्कि हमारे द्वारा क्रय की गई भूमि के अलावा शेष भूमि पडत पडी रही है। ऐसी स्थिति में विरासत से प्राप्त होने का तथ्य आधारहीन है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में भूमि को 60 वर्ष पूर्व खरीदना अंकित कराया है, जिसके बाद एक सेटलमेंट की कार्यवाही हो चुकी है। यदि ऐसा होता तो स्वाभाविक रूप से काबिज अनुसार वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 के खाते में अंकित हो जाती। जहां तक सेटलमेन्ट के पूर्व पुरूष कालु पिता भीमा कुम्हार को उपकृषक के रूप में अंकित कराये जाने का तथ्य अंकित कराया है। सम्भवत उन दिनों जब सेटलमेंट हुई तब मृतक कालु जी वर्णित भूमि के हिस्से को सिजारी पेटे कमाते रहे होगें, जिससे कोई कानूनी अधिकारी प्रार्थीगण को प्राप्त नही होते

उपखण्ड अधिकारी
झाड़ोल, जिला-उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

और इसकी मौरूसी अधिकारी प्राप्त किये जाने का विधि में प्रावधान नही है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार है एवं कब्जा भी विपक्षीगण का है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही होने से प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण खारिज फरमावें तथा प्रति प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाते हुए प्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करावें कि वे प्रति प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित विपक्षी के खातेदारी की कृषि भूमि में किसी प्रकार की बाधा नही पहुंचावें, न तो ऐसा कार्य स्वयं करें न अपने नोकर, रिश्तेदार इत्यादि से करावें।

प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी के प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादोक्त भूमि संवत 2047 से 2050 की जमाबन्दी के खाता संख्या 03 पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पिता/दादा श्री कालु पिता भीमा कुम्हार खातेदार दर्ज है। कालु जी यह जमीन विपक्षी संख्या 03 व 04 के पूर्व पुरुष सवकअली से 60 साल पहले क्रय की और कब्जा प्राप्त किया तब से कालु जी जीवनभर काबिज रहे है, इसी भूमि पर कालु जी का मकान बना हुआ है, जो हमारा मौरूसी मकान है। विपक्षी संख्या 01 व 02 को भली भांति ज्ञात था कि वादोक्त भूमि मौरूसी सम्पति है फिर भी छल से अभी वर्ष 2022 में प्रार्थीगण की पीठ पिछे अकेले अपने नाम अंकन करवा दी है, जो प्रार्थीगण के मुकाबले अवैध व शून्य है। वादोक्त भूमि कानूनन प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 व 02 के संयुक्त स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की है। वादोक्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 को विरासत से प्राप्त हुई है एवं कब्जा भी संयुक्त रूप से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण प्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः विपक्षी का प्रति प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, प्रति प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रति प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2014 पेज 20/22, डी.एन.जे. 2015 (1) पेज 227/229, डी.एन.जे. 2014 (1) पेज 60/22 उद्‌धरित किये गये।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात के विपक्षीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा भूमि विपक्षी संख्या 04 से क्रय किये जाने से विपक्षी संख्या 01 व 02 विपक्षी संख्या 03 व 04 के साथ सहखातेदार बने है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 के पूर्वज श्री कालु जी द्वारा वादोक्त भूमि 60 वर्ष पूर्व विपक्षी संख्या 03 व 04 के पिता से क्रय की थी परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि स्व. कालु जी ने वादोक्त भूमि क्रय की है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रेकार्डेड खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त की रूह में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना

4

चित प्रतीत नही होता है एवं विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से विपक्षीगण का प्रति ना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नही पाये जाने से ारिज किया जाता है एवं विपक्षीगण का प्रति प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता एवं मौजा बिरोठी पटवार हल्का बिरोठी की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 35 में र्णित आराजियात किता 07 कुल रकबा 0.4600 है0 भूमि में विपक्षीगण के शांतिपूर्ण कृषि कार्य में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करने एवं भूमि से बेदखल नही करने हेतु प्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल–उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner